फर्द अहकाम

बनाम

ालय : उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला

ा : /

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
.9.25	वकील पक्षकारान उप०। वकील प्रतिवादी बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 27.10.25 को पेश हो।	
27.10.25	वकील पक्षकारान उप०। वकील पक्षकारान ने बहस ~~[illegible]~~ करना जाहिर किया। वकील पक्षकारान व प्रार्थी की बहस को सुना गया। बाद बहस सुनने व अवलोकन पत्रावली वादी का वाद स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। वादीगण वाद निर्णीत किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.), दूदू, जिला–जयपुर
पीठासीन अधिकारी : रमेश कुमार, R.A.S.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 229/2024
वाद दायरी दिनांक : 21/11/2024
निर्णय दिनांक : 27/10/2025

1. श्रीमती नमृता माहेश्वरी पत्नि श्री अशोक कुमार माहेश्वरी, उम्र 58 वर्ष
2. श्रीमती संतोष माहेश्वरी पत्नि श्री रामदास माहेश्वरी, उम्र 61 वर्ष

निवासीयान– 69, धूलेश्वर गार्डन, सी स्कीम जयपुर राज0।

–वादीयागण

बनाम

1. दिलीप कुमार पुत्र श्री चांदमल, जाति कुमावत,
2. तरूण कुमार पुत्र दिलीप, जाति कुमावत,
3. अजय कुमार पुत्र दिलीप, जाति कुमावत,

निवासी– ग्राम दूदू तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।

4. तहसीलदार, तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।

–प्रतिवादीगण

वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. 1955 व 136 एल0आर0एक्ट)

उपस्थिति : **श्री दिनेश शर्मा**
विद्वान अधिवक्ता वादीयागण

श्री भैरूलाल शर्मा
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3

प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 27/10/2025

– : निर्णय : –

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीयागण ने एक वाद–पत्र बाबत् घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वादीयागण की आराजी कृषि भूमि वाके ग्राम दूदू तहसील दूदू जिला जयपुर में स्थित है, जिसके वर्तमान खाता संख्या 551 खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

2537, 7725/2535, 7726/2535 कुल किता 03 कुल रकबा 0.4800 हैक्टेयर, खाता संख्या 1637 खसरा संख्या 2531, 2532, 2534, 2535, 2538 कुल खसरा 5 कुल रकबा 0.6800 हैक्टेयर, खाता संख्या 1643 खसरा नम्बर 2530, 2536 कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.3400 हैक्टेयर खाता संख्या 510 खसरा नम्बर 2528, 2529 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2200 हैक्टेयर स्थित है। जिस पर वादीयागण खरीद वर्ष 2005 से कब्जे काश्त है। वादीया संख्या 2 संतोष माहेश्वरी पत्नि श्री रामदास माहेश्वरी के स्थान पर उसके खाता संख्या 1637 एवं 1643 के राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या 2 का नाम संतोष पत्नि श्री राममाहेश्वरी हो गया है जबकि वादिया का नाम संतोष माहेश्वरी पत्नि श्री रामदास माहेश्वरी है तथा इसी नाम से वादिया द्वारा विक्रय पत्र पंजीयन करवाया गया था। खाता संख्या 510 के खसरा संख्या 2528 रकबा 0.1100 गैर मुमकिन आवासीय, 2529 रकबा 0.1100 गै. मुमकिन आवासीय कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.2200 हैक्टेयर भूमि वादीयागण द्वारा दिनांक 24.03.2005 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 से जरिये विक्रय पत्र जिसका पंजीयन पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 11 के पृष्ठ संख्या 169 के क्रम संख्या 106 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 15 पृष्ठ संख्या 401 से 405 पर दिनांक 31.03.2025 का चस्पा किया गया। दूसरा विक्रय पत्र जिसका पंजीयन पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 12 के पृष्ठ संख्या 35 के क्रम संख्या 172 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 15 पृष्ठ संख्या 662 से 666 पर दिनांक 28.04.2025 को चस्पा किया गया। उक्त वर्णित भूमि क्रय किये जाने के पश्चात वादीयागण द्वारा उपरोक्त आराजीयात पर चारो ओर बाउण्ड्रीवाल कर कब्जे काश्त में है तथा उपरोक्त वर्णित आराजीयात के सम्बन्ध में विक्रय पत्रों की प्रति सम्बन्धित पटवारी हल्का दे दी गई थी जिसमें से खाता संख्या 510 के खसरा नम्बर 2528 व 2529 के अलावा सभी खसरो में वादीयागण का नाम अंकित हो गया था। इस कारण वादीयागण को संतुष्टि हो गयी थी कि समस्त खातो में वादीयागण का नाम इन्द्राज हो चुका है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन के प्रयोजनार्थ वादीयागण द्वारा अपने नाम की जमाबंदी निकलवाई तो वादीयागण को ज्ञात हुआ कि खाता संख्या 1637 एवं 1643 में वादीया संख्या 2 का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित हो गया है तथा वादीयागण की खरीदशुदा भूमि जिसका साबिक नम्बर 3960 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा और वर्तमान खसरा नम्बर 2528 रकबा 0.1100 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2529 रकबा 0.1100 कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.2200 हैक्टेयर आज दिनांक तक भी पूर्व खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज हैं तथा खाता संख्या 510 में नोट संख्या 34 दिनांक 24.08.2019 से उक्त भूमि संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 1638 दिनांक 24.03.1996 का अमल दरामद निरस्त किये जाने बाबत् नोट लगा हुआ है, इसलिए उक्त भूमि पुनः खातेदारी भूमि हो चुकी है।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

वादीगण को उक्त तथ्यों की जानकारी दिनांक 25.10.2024 को अपनी खरीदाशुदा आराजी की जमाबंदी की प्रति निकलाने पर हुई जिससे वादीयागण का उपरोक्त आराजीयात के बाबत घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज का वाद पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया हैं।

वादीयागण ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादीयागण का वाद बहक वादीयागण विरूद्ध प्रतिवादीगण सव्यय न्यायालय सहित डिक्री फरमाया जाकर वाद के मद नम्बर 2 व 3 में वर्णित भूमि खाता संख्या 510 के खसरा नम्बर 2528 रकबा 0.1100 हैक्टेयर गैर मुमकिन आवासीय, 2529 रकबा 0.1100 हैक्टेयर गैर मुमकिन आवासीय कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.2200 हैक्टेयर को पंजीकृत विक्रय पत्रो के आधार पर वादीयागण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इस हेतु पर्चा डिक्री बनाई जाकर प्रतिवादी संख्या 4 को निर्देशित किया जावें कि वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करें। वादीयागण का वाद बहक वादीयागण विरूद्व प्रतिवादीगण सव्यय न्यायालय सहित डिक्री फरमाया जाकर वाके ग्राम दूदू तहसील दूदू के खाता संख्या 1637 खसरा नम्बर 2531, 2532, 2534, 2535, 2538 एवं खाता संख्या 1643 के खसरा नम्बर 2530, 2536 के राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या 2 का नाम संतोष पत्नि श्री राममाहेश्वरी के स्थान पर संतोष माहेश्वरी पत्नि श्री रामदास माहेश्वरी राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर अंकित किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 10/02/2025 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता श्री छोटू लाल गुर्जर ने अण्डरटेकिंग दी।

दिनांक 26.05.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से श्री भैरूलाल शर्मा व शुभम शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 11/08/2025 को तहसीलदार रिपोर्ट पेश हुई, जो शामिल मिसल की गयी।

दिनांक 25/08/2025 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने इकबालिया जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 1/09/2025 को वादीयागण की ओर से साक्ष्य शपथ–पत्र स्वयं वादीयागण नमृता माहेश्वरी, संतोष माहेश्वरी पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। अधिवक्ता पक्षकारान ओर साक्ष्य पेश नही कर बहस करना जाहिर किया ।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी ।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया । वादीयागण द्वारा प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

वाद–पत्र एवं दस्तावेजात विक्रय–पत्र प्रति दिनांक 24/03/2005, जमाबन्दी असल खाता संख्या 510, जमाबन्दी खाता संख्या 551, 1637, 1643, आधारकार्ड, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाबदावा व प्रतिवादी/पैरोकार संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता संख्या 510 की आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम से दर्ज रिकार्ड है, जो वादीयागण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 24/03/2005 के द्वारा क्रय की गयी है, जिसका वरवक्त नामान्तरकरण नही खुला हैं। इसी प्रकार खाता संख्या 551, 1637, 1643 में वादीया का नाम क्रमशः संतोष माहेश्वरी पत्नी श्रीराम माहेश्वरी व नम्रता माहेश्वरी पत्नी अशोक कुमार माहेश्वरी दर्ज है, जो कि गलत है जबकि सही नाम संतोष माहेश्वरी पत्नी रामदास माहेश्वरी व नम्रता माहेश्वरी पत्नी अशोक कुमार माहेश्वरी दर्ज होना चाहिये। इसलिये अब राजस्व रिकार्ड में सही करवाने हेतु ही यह वाद पेश किया हैं। इस सम्बन्ध में तहसीलदार दूदू ने अपने जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नानुसार है–

ग्राम दूदू तहसील दूदू की स्थायी जमाबन्दी सम्वत् 2076 के अनुसार खाता संख्या 551 के खसरा नम्बर 2537, 7725/2535, 7726/2535 कुल किता 3 कुल रकबा 0.48 हैक्टेयर, खाता संख्या 1637 के खसरा नम्बर 2531, 2532, 2534, 2535, 2538 कुल किता 5 कुल रकबा 0.5800 हैक्टेयर, खाता संख्या 1643 के खसरा नम्बर 2530, 2536 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3400 हैक्टेयर व खाता संख्या 510 के खसरा नम्बर 2528, 2529 कुल किता 2 रकबा 0.2200 हैक्टेयर भूमि वादीयागणों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर कब्जेकाश्त है। खाता संख्या 1637 व 1643 के राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या 2 का नाम संतोष पत्नी श्रीराम माहेश्वरी सहवन से दर्ज हो गया है, जबकि पुराना राजस्व रिकार्ड अनुसार सही नाम संतोष माहेश्वरी पत्नी रामदास माहेश्वरी है। खाता संख्या 510 के खसरा नम्बर 2528 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, 2529 रकबा 0.1100 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.22 हैक्टेयर भूमि वादीयागण के द्वारा विक्रय पत्रानुसार दिनांक 24.09.2025 को प्रतिवादी 1 लगायत 3 से क्रय किया गया है। जिसका वरवक्त नामान्तरकरण नहीं खुला हुआ है। खाता संख्या 1637, 1643 में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से गलत अंकित हो गया है। जो काबिले दुरूस्त है एवं खसरा नम्बर 2528 एवं 2529 कुल किता 2 रकबा 0.22 हैक्टेयर आज भी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उपरोक्त खसरा नम्बरान आदेश क्रमांक 1638 दिनांक 24.03.1996 का सम्परिवर्तन आदेश निरस्त हो

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

चुका है एवं भूमि उपरोक्त आदेशानुसार खातेदारी हो गई है, जिसकी पूर्व में किस्म चाही–ए थी।

अतः ग्राम दूदू के खाता संख्या 1637, 1643 के दर्ज राजस्व रिकार्ड में वादीया संख्या 2 का नाम संतोष पत्नी श्रीराम माहेश्वरी के स्थान पर पुराने राजस्व रिकार्ड एवं विक्रय पत्र के आधार पर संतोष माहेश्वरी पत्नी रामदास माहेश्वरी किया जाना न्यायोचित है एवं खाता संख्या 510 के खसरा नम्बर 2528, 2529 विक्रय पत्र के आधार पर काश्तकार घोषित करना एंव आदेश क्रमांक 1638 दिनांक 24.03.1996 का संपरिवर्तन आदेश निरस्त होने के कारण भूमि की पूर्व किस्म चाही–ए करना न्यायालय का क्षेत्राधिकार है।

इस प्रकार उक्त त्रुटि को स्वीकार किया है एवं वाद–पत्र डिक्री किये जाने बाबत अनुशंषा की हैं तथा इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने इकबालिया जवाबदावा पेश कर वादीयागण के वाद को स्वीकार किया है एवं डिक्री किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नही जतायी है तथा अपनी पूर्ण सहमति प्रकट की हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन उपरान्त यह पाया जाता है कि वादीयागण ने अपने वाद–पत्र को दस्तावेजी साक्ष्यों व साक्ष्य गवाहान से बखूबी साबित किया है, जिससे वादीयागण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादीयागण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 510 के खसरा नम्बर 2528, 2529 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2200 हैक्टेयर आराजीयात का वादीयागण को पंजीकृत विक्रय–पत्रों के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं सम्परिवर्तन आदेश निरस्त होने कारण भूमि की पूर्व किस्म चाही–ए दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा खाता संख्या 1637 के खसरा नम्बर 2531, 2532, 2534, 2535, 2538 एवं खाता संख्या 1643 के खसरा नम्बर 2530, 2536 वाके ग्राम दूदू तहसील दूदू जिला जयपुर में वादी संख्या 2 का नाम संतोष पत्नी श्रीराम माहेश्वरी के स्थान पर संतोष माहेश्वरी पत्नी श्री रामदास माहेश्वरी दर्ज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार दूदू को आदेश दिया जाता है कि निर्णय की पालना सुनिश्चित करावें।

निर्णय आज दिनांक 27/10/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(रमेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर